न्यायालय सहायक कलेक्टर, आबूपर्वत

पीठासीन अधिकारी– डॉ रविन्द्र गोस्वामी,आई.ए.एस

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
श्री जब्बरसिंह पुत्र स्व. श्री चिमन सिंह जाति राव, निवासी कारोली, तहसील आबूरोड		श्री प्रताप सिंह पुत्र स्व. श्री चिमन सिंह जाति राव, निवासी कारोली, तहसील आबूरोड

वाद अन्तर्गत धारा 88,188, 92ए, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 13/2019

दिनांक:-23-01-2020

निर्णय

यहकि वादी द्वारा वाद अन्तर्गत धारा 88,188, 92ए, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 कि वादी तथा प्रतिवादी संख्या 01 ही पिता की संताने है एवं आपस में सगे भाई है जो स्व. चिमन सिंह के विधिक वारीसान पुत्र है। मौजा ग्राम कारोली, पटवारी हल्का आमथला, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र आबूपर्वत, तहसील आबूरोड में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 की पुश्तैनी संयुक्त कब्जे काश्त स्वामित्व की खसरा नम्बर 478 रकबा 00.04 बिस्वा कुल किता–1 रकबा 00.04 है। एवं खसरा नम्बर 360, 439, 442, 443, 446, 447, 448, 449, 453, 454, 455, 469, 471, 472, 475, 476, 479, 481, 482 कृल किता–19 रकबा 19.16 बीघा स्थित है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पिता चिमन सिंह का स्वर्गवास वक्त सेटलमेन्ट हो चुका था एवं चिमन सिंह के स्वर्गवास के पश्चात राजस्व कर्मचारियों व अधिकारियों की भूलवंश केवल वादी के बडे भाई प्रतिवादी संख्या 01 का ही नाम उक्त विवादित कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में बतौर खातेदार दर्ज किया गया था। वादी के पिता श्री चिमन सिंह की मृत्यु के समय वादी की माता गर्भवति थी एवं श्री चिमन सिंह की मृत्यु के लगभग पांच माह बाद वादी का जन्म हुआ था एवं वादी को राजस्व रेकर्ड में अपना नाम बतौर खातेदार इन्द्राज रकाने बाबत कुछ भी जानकारी नहीं थी। जबकि वादी अपने पिता चिमन सिंह की मृत्यु के बाद प्रतिवादी संख्या 01 के साथ–साथ बिना किसी बाधा व ऐतराज के उक्त वर्णित विवादित कृषि भूमि में अपने हिस्से की भूमि पर आज भी बतौर स्वामी शान्तिपूर्वक काबिज काश्त है, परन्तु राजस्व अधिकारियों की लापरवाही एवं वादी की अज्ञानता के कारण राजस्व रेकर्ड में वादी का नाम दर्ज नहीं हुआ उक्त भूल व त्रृटि को सुधरवाकर वादी अपना नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज कराने का विधिक अधिकारी है इसलिए यह वाद पेश किया है।

अतः प्रकरण को दर्ज कर प्रतिवादीगण को सम्मन जारी किये। प्रतिवादीगण को जारी सम्मन बाद तामिल प्राप्त। प्रतिवादीगण का जवाब प्राप्त। प्रतिवादी संख्या एक ने जवाब प्रस्तुत कर वादी के अनुतोष पर कोई आपत्ति या उजर ऐतराज नही किया है।

हमने उभय पक्षीय बहस सुनी। पत्रावली पर उपलब्ध देस्तावेजो का अवलोकन किया। बहस मे प्रतिवादी संख्या एक के अधिवक्ता ने वाद कथन को स्वीकार किया कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या एक आपस मे सगे भाई है तथा प्रश्नगत आराजी पुश्तैनी संयुक्त कब्जे काश्त स्वामित्व आराजी है। इसलिये उक्त प्रश्नगत आराजी मौजा ग्राम कारोली, पटवारी हल्का आमथला, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र आबूपर्वत, तहसील आबूरोड के खसरा नम्बर 478 रकबा 00.04 बीघा कुल किता–1 रकबा 00.04 बीघा है। एवं खसरा नम्बर 360, 439, 442, 443, 446, 447, 448, 449, 453, 454, 455, 469, 471, 472, 475, 476, 479, 481, 482 कृल किता–19 रकबा 19.16 बीघा मे प्रतिवादी संख्या एक प्रताप सिंह पुत्र चिमन सिंह जाति राव निवासी कारोली के हक हिस्से की कृषि आराजी मे वादी जब्बर सिंह पुत्र चिमन सिंह जाति राव निवासी कारोली को 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है।

आदेश

अतः वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88,188, 92ए, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाता है तथा प्रश्नगत आराजी मौजा ग्राम कारोली, पटवारी हल्का आमथला, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र आबूपर्वत, तहसील आबूरोड के खसरा नम्बर 478 रकबा 00.04 बीघा कुल किता–1 रकबा 00.04 बीघा है। एवं खसरा नम्बर 360, 439, 442, 443, 446, 447, 448, 449, 453, 454, 455, 469, 471, 472, 475, 476, 479, 481, 482 कृल किता–19 रकबा 19.16 बीघा मे प्रतिवादी संख्या एक प्रताप सिंह पुत्र चिमन सिंह जाति राव निवासी कारोली के हक हिस्से की कृषि आराजी मे वादी जब्बर सिंह पुत्र चिमन सिंह जाति राव निवासी कारोली को 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है। तद्नुसार डिकी जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

आदेश आज दिनांक 23/01/20 को से इजलास सुनाया गया।

(डॉ रविन्द्र गोस्वामी) I.A.S.
सहायक कलक्टर,आबूपर्वत

Scanned by CamScanner

डिक्री

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई

(ऑ. 21 रूल 6,7 जाब्ता दिवानी)

अज अदालत न्यायालय सहायक कलेक्टर मुकाम आबूपर्वत

पीठासीन अधिकारी– डॉ रविन्द्र गोस्वामी,आई.ए.एस

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
श्री जब्बरसिंह पुत्र स्व. श्री चिमन सिंह जाति राव, निवासी कारोली, तहसील आबूरोड		श्री प्रताप सिंह पुत्र स्व. श्री चिमन सिंह जाति राव, निवासी कारोली, तहसील आबूरोड

वाद अन्तर्गत धारा 88,188, 92ए, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 13/2019

दिनांकः-23-01-2020

यह आज मुकदमा वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी श्री शरद पाल सिंह अधिवक्ता वादीगण मिनजानिब मुदई प्रतिवादीगण श्री ओम प्रकाश कुमावत मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88,188, 92ए, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाता है तथा प्रश्नगत आराजी मौजा ग्राम कारोली, पटवारी हल्का आमथला, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र आबूपर्वत, तहसील आबूरोड के खसरा नम्बर 478 रकबा 00.04 बीघा कुल किता–1 रकबा 00.04 बीघा है। एवं खसरा नम्बर 360, 439, 442, 443, 446, 447, 448, 449, 453, 454, 455, 469, 471, 472, 475, 476, 479, 481, 482 कूल किता–19 रकबा 19.16 बीघा मे प्रतिवादी संख्या एक प्रताप सिंह पुत्र चिमन सिंह जाति राव निवासी कारोली के हक हिस्से की कृषि आराजी मे वादी जब्बर सिंह पुत्र चिमन सिंह जाति राव निवासी कारोली को 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार आबूरोड उपरोक्तानुसार राजस्व रेकर्ड मे इन्द्राज करे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें।

निचे———×————मुतलिक————×————बाबत् खर्चा इन मुकदमे के मय सूद वगैरह————×————फीस दी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक————×————को अदा करें।

वसीब्त मेरे दस्खत व मुहर अदालत के आज तारीख 23/01/20 को जारी की गई है।

(डॉ रविन्द्र गोस्वामी) I.A.S.
सहायक कलक्टर आबूपर्वत

सहायक कलक्टर
आबू पर्वत

न्यायालय सहायक कलक्टर आबूपर्वत (राजस्थान)

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Ravindra Goswami
Date: 2020.02.04 15:53:33 IST
Reason: SelfAttested
Location: